राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4410/2022

मुनेश काला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुंनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 07.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल महला, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोगडा कलां, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहावट, जिला जोधपुर किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2016 से तोगडा कलां, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 450 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.02.2016 के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया है, जो वर्तमान में अधिशेष नहीं है। उसका भुगतान भी वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्राप्त हो रहा है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के द्वारा सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र, लोहावट, जिला जोधपुर कर दिया गया है, जो राज्य सरकार के स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्सिंग ऑफीसर के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोगडा कलां, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 450 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहां तक अपीलार्थी के अधिशेष कार्मिक नहीं होने का प्रश्न है, अपीलार्थी ने पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रकट हो सके कि अपीलार्थी को रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल होना नहीं पाते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य